

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/21/00364

दिनांक. 31.08.2021

सेवा में,

श्री सय्यद मो0 उमर

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 15.07.2021 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 23.07.2021 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 1, 2, 3	प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में उल्लिखित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । ऐसे प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण देना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है ।
बिंदु सं. 4	वांछित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आयोग की वेबसाइट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है का अवलोकन करें विशेषकर धारा 7 एवं 19 का ।

अधोहस्ताक्षरी की अस्वस्थता की वजह से अवकाश के कारण सूचना देने में देरी के लिए खेद है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अजितकुमार बसंतराव सोनटक्के, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है ।


(सुबोध कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690